



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9355

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 42472 / 2025

सत्येंद्र यादव.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य.....प्रतिवादी

आवेदक के लिए अधिवक्ता : मनोज कुमार मौर्य

प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री पुनीत कुमार सिंह को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया।

यह जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत अभियुक्त-आवेदक की ओर से दाखिल किया गया है, जिसमें उसे पुलिस थाना बिल्हौर, जिला कानपुर नगर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 278/2024, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4) और 336(2), उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की धारा 4/5क/8 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम की धारा 11(घा) के तहत जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इसी मुकदमा अपराध संख्या में मिथ्या रूप से फंसाया गया है और वह 22.04.2025 से जेल में निरुद्ध है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त शुभम यादव को इस न्यायालय की समन्वय न्यायपीठ ने दिनांक 30.04.2025 के आदेश द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 7219/2025 में जमानत पर रिहा कर दिया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः, जमानत के लिए प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन उपर्युक्त तथ्य पर विवाद नहीं कर सके।

सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दण्ड की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की युक्तियुक्त आशंका और प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करते हुए, लेकिन मामले के गुणागुण पर टिप्पणी किए बिना, यह जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अतः अभियुक्त - आवेदक **सत्येंद्र यादव**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो विश्वसनीय प्रतिभूतियां निष्पादित करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव/धमकी नहीं देगा और विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्येक नियत तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपर्युक्त शर्तों में से किसी के भी भंग होने की स्थिति में, अधीनस्त न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

14 जनवरी, 2026

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।